Case name

Lawyers' Right to Strike: Supreme Court of India (2002)

Case

भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मानना है कि वकीलों को हड़ताल पर जाने या अदालत की कार्यवाही का बहिष्कार करने का

कोई अधिकार नहीं है

Brief Summary

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि वकीलों को हड़ताल पर जाने या अदालत की कार्यवाही का बहिष्कार करने का कोई

अधिकार नहीं है, वे खुद को अदालत के अधिकारी मानते हैं जो न्याय के वितरण में सहायता और सहायता करने के लिए बाध्य

हैं। अदालत ने इस बात पर जोर दिया है कि काम से दूर रहना न्याय के प्रशासन को बाधित करता है और इस प्रकार वकीलों के

आह्वान और स्थिति के साथ असंगत है।

Main Arguments

अदालत द्वारा प्रस्तुत मुख्य तर्कों में शामलि हैं:-वकील अदालत के अधिकारी होते हैं और न्याय के वितरण में सहायता और

सहायता करने के लिए बाध्य होते हैं।-काम से दूर रहना न्याय के प्रशासन को बाधित करता है और इस प्रकार वकीलों के बुलाने

और स्थिति के साथ असंगत है।-वकीलों को हड़ताल पर जाने या अदालत की कार्यवाही का बहिष्कार करने का कोई अधिकार

नहीं है।-बार काउंसलि ऑफ इंडिया को अदालत द्वारा सुझाए गए अपने अनुशासनात्मक नियमों में खंडों को शामलि करना

चाहिए।

Legal Precedents or Statutes Cited

अदालत ने निम्नलखिति कानूनी उदाहरणों या कानूनों का हवाला दिया है:-29 सितंबर, 2002 को भारतीय बार काउंसिल का

संकल्प।

Quotations from the court

अदालत ने निम्नलखिति उद्धरण दिए हैं:-"वकीलों को हड़ताल पर जाने का कोई अधिकार नहीं है। वकीलों को अदालत का

बहिष्कार करने का कोई अधिकार नहीं है। वकीलों को उन मामलों में अदालत में पेश होने से बचने का कोई अधिकार नहीं है जिनमें वे पक्षकारों के लिए वकालत रखते हैं। "-" यह प्रत्येक अधिवक्ता का कर्तव्य है जो मुकदमों में भाग लेने के लिए एक संक्षिप्त स्वीकार करता है, भले ही यह लंबे समय तक चले। "-" "यह प्रत्येक अधिवक्ता का कर्तव्य है कि वह हड़ताल या बहिष्कार के आह्वान को साहसपूर्वक नजरअंदाज करे।"

Present Court's Verdict

अदालत ने निम्नलिखिति निर्णय लिए हैं:-वकीलों को हड़ताल पर जाने या अदालत की कार्यवाही का बहिष्कार करने का कोई अधिकार नहीं है।-वकील मुकदमें में भाग लेने के लिए कर्तव्यबद्ध हैं, भले ही वे लंबे समय तक चले। बार काउंसिल ऑफ इंडिया को अदालत द्वारा सुझाए गए अनुशासनात्मक नियमों में खंडों को शामिल करने का निर्देश दिया जाता है। हड़ताल न्याय के प्रशासन में हस्तक्षेप करने का एक प्रयास है।

Conclusion

अंत में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि विकीलों को हड़ताल पर जाने या अदालत की कार्यवाही का बहिष्कार करने का कोई अधिकार नहीं है, वे खुद को अदालत के अधिकारी मानते हैं जो न्याय के वितरण में सहायता और सहायता करने के लिए बाध्य हैं। अदालत ने न्याय के प्रशासन के महत्व पर जोर दिया है और बार काउंसिल ऑफ इंडिया को अदालत द्वारा सुझाए गए अपने अनुशासनात्मक नियमों में खंडों को शामिल करने का निर्देश दिया है।